



THE STUDY

By Manikant Singh



ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली

चर्चा में क्यों ?

- ❖ SEBI के द्वारा पूंजी बाजार के लिए संस्थानों, समाधानकर्ताओं और मध्यस्थों को शामिल करने वाली एक नई ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) प्रणाली लाई जाएगी।
- ❖ नई प्रणाली प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करेगी।
- ❖ एक सामान्य ODR पोर्टल की स्थापना करके स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी - मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस - के तत्वावधान में प्रतिभूति बाजार में मौजूदा विवाद समाधान तंत्र को सुव्यवस्थित किया गया। नई प्रणाली प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करेगी।

ODR संस्थान क्या हैं?

- ❖ सेबी, प्रत्येक MII एक या अधिक स्वतंत्र ODR संस्थानों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करेगा।
- ❖ इन संस्थानों में योग्य सुलहकर्ता और मध्यस्थ होंगे।
- ❖ MII, अपने सूचीबद्ध ODR संस्थानों के परामर्श से, एक सामान्य ODR पोर्टल स्थापित और संचालित करेंगे।



210, Virat Bhawan, 2nd Floor Near Post Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09

Contact Us 9999516388, 8595638669

- ❖ प्रतिभूति बाजार में सभी सूचीबद्ध कंपनियों, निर्दिष्ट मध्यस्थ और विनियमित संस्थाएं (जिन्हें बाजार सहभागियों के रूप में जाना जाता है) ODR पोर्टल पर नामांकन करेंगी।
- ❖ सेबी द्वारा यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि ODR संस्थानों के रूप में कौन अर्हता प्राप्त करेगा।

प्रक्रिया क्या है?

- ❖ किसी निवेशक या ग्राहक को सबसे पहले संबंधित बाजार भागीदार के पास सीधे शिकायत दर्ज करके अपनी शिकायत करनी होगी।
- ❖ यदि शिकायत का समाधान संतोषजनक ढंग से नहीं किया जाता है, तो निवेशक या ग्राहक स्कोर्स पोर्टल के माध्यम से शिकायत बढ़ा सकते हैं।
- ❖ सभी उपलब्ध विकल्पों का उपयोग करने के बाद, यदि निवेशक या ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो वह ODR पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकता है। इसमें पहला कदम सुलह है यदि यह विफल हो जाता है, तो अगला चरण मध्यस्थता होगा।

कार्यान्वयन समयरेखा

- ❖ ODR प्रावधानों को विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा:
 - ◆ पहले चरण में ODR पोर्टल का विकास, और 1 अगस्त से पहले ODR संस्थानों, सुलहकर्ताओं और मध्यस्थों का पैनल शामिल होगा।
 - ◆ ट्रेडिंग सदस्यों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों का पंजीकरण 15 अगस्त तक किया जाना आवश्यक है।
 - ◆ दूसरे चरण में **ODR पोर्टल** पर अन्य सभी बाजार सहभागियों का पंजीकरण शामिल होगा। इसके बाद 16 सितंबर से अन्य सभी बाजार सहभागियों के खिलाफ शिकायतों/विवादों को दर्ज करना और उनका समाधान करना और संबंधित प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन शुरू किया जाएगा।

